बिहार-विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १५ जुलाई, १९५२ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

नरईपुर ग्राम पंचायत के मुखिया की गिरफ्तारी।

८९। श्री राम सुन्दर तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) चम्पारण जिला के बगहा थाना के नरईपुर ग्राम पंचायत राज के मुखिया चार पंच और चीफ औफिसर को बेतिया सबडिवीजन के बगहा थाना के पुलिस इंसपेक्टर, पुलिस आफिसर तथा बेतिया के द्वितीय आफिसर श्री एम० पी० सिंह ने तारीख २५ जून, १९५२ को बगहा सूगर मिल में उनलोगों को बुलाकर गिरफ्तारी किया;

(ख) क्या यह बात सही है कि बिहार पंचायत राज ऐक्ट १९४७ के धारा ८३ के अनुसार ग्राम पंचायत राज के प्रत्येक सदस्य जनसेवक समझे जाते हैं;

(ग) क्या यह बात सही है कि खंड (ख) के अनुसार "जन सेवक" की गिरफ्तारी बिना उच्च अधिकारियों की आज्ञा से नहीं की जा सकती है?

Shri ANATH KANTA BASU : Sir, I want to raise a point of order. I draw your attention to rule 70(2) of the Assembly Rules and beg to submit before you that this rule is not being followed inasmuch as we got the printed copies of the questions just now and had no opportunity of preparing ourselves with supplementary questions.

Mr. SPEAKER : What was being done in the past.

Shri ANATH KANTA BASU : This has always been the position.

अध्यक्ष—इस सभा में बहुत सा काम बिना लिखे हुए नियम के अनुसार हमलोग करते आते हैं और वह भी नियम हो जाता है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इसका उत्तर तैयार नहीं है।

श्री राम सुन्दर तिवारी—इस विषय पर मैंने १ जुलाई, १९५२ को एक एडजोर्नमेंट मोशन की नोटिश दी थी उस पर यह कहा गया था कि शौर्ट नोटिश क्वेश्चन दिया जाय। उसी दिन मैंने शौर्ट नोटिश क्वेश्चन की नोटिश दी लेकिन आज १५ जुलाई, १९५२ हो गया लेकिन उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मिनिस्टर साहब ने खुद उस प्रश्न पर समय निर्धारित कर दिया था।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमें याद नहीं है। मैं शौर्ट नोटिश क्वेश्चन पर लिख देता हूँ कि कब मैं उत्तर दे सकूंगा और कभी-कभी मैं समय को बदल भी देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय—आज सभा की बैठक ११-५ मिनट पर शुरु हुई है। किसी कारण-वश बैठक के शुरु होने में दो-चार मिनट की देरी होती ही है और इसके लिये माननीय सदस्य को क्षोभ प्रकट करना उचित नहीं मालूम पड़ता है। जब माननीय सदस्य इस पर अपना क्षोभ प्रकट कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उनके विचार के कारण आज प्रश्नोत्तर के लिए ५ मिनट और समय दिया जा रहा है।

ग्राम-पंचायतों के चीफ औफिसरों का वेतन।

*११००। श्री राम सुन्दर तिवारी—क्या मंत्री, स्वायत्त-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) बिहार पंचायत राज विधान को सारे प्रांत में पूर्ण रूप से हर गांव में पंचायत बनाने की योजना कितने साल तक की है ;

(ख) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिला में काफी पंचायत बन जाने से एक पंचायत अफसर के लिए उन पंचायतों का निरीक्षण करना, काम देखना कठिन हो गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि पंचायतों के अन्दर जो चीफ औफिसर रहते हैं उन्हें अवैतनिक काम करना पड़ता है ;

(घ) क्या यह सही है कि ग्राम रक्षक दल के चीफ औफिसर को चोरों और बदमाशों को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है ;

(ङ) यदि ऊपर के खंड (ख), (ग) और (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या सरकार पंचायत आफिसरों की संख्या उन जिलों में जहां अधिक पंचायत बन गये हैं बढ़ाने और चीफ अफिसरों के वेतन देने अथवा उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार देने के लिए विचार करती है ?

श्री भोला पासवान—(क) वर्त्तमान कार्य-नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष १,३०० पंचायत अधिसूचित की जा रही हैं। किन्तु पंच-वर्षीय योजना को देखकर इस गति में विशेष तेजी लाने का विचार किया जा रहा है।

(ख) पंचायतों की संख्या बढ़ने से पंचायत अफसर का कार्य तो कठिन हो ही जायेगा किन्तु उनको सहायता के लिए सुपरवाइजरों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(घ) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ङ) पंचायत अफसरों की संख्या बढ़ाने का विचार नहीं है। किन्तु सुपरवाइजर बढ़ाये जा रहे हैं। चीफ अफसरों को वेतन देने और बदमाशों को उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार देने के विषय में सक्रिय विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों में यह विचार खत्म होगा ?

श्री भोला पासवान—यह कहना मुश्किल है।

श्री पशुपति सिंह—क्या सरकार और ग्राम पंचायत स्थापित करने में जल्दबाजी करेगी?

श्री भोला पासवान—ग्राम-पंचायत कायम करने की जो स्कीम है उसके अनुसार काम हो रहा है।

श्री लाल सिंह त्यागी—क्या यह काम पंच-वर्षीय योजना के अनुसार पूरा हो जायेगा?

श्री भोला पासवान—जिस रफ्तार से काम हो रहा है उससे उम्मीद है कि ५ वर्ष में यह काम खत्म हो जायेगा।

ग्राम-पंचायत के अधिकारियों के अधिकार।

*११०१। श्री रामानन्द तिवारी—क्या मंत्री, स्वायत्त-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या सरकार ग्राम-पंचायत के अधिकारियों को काम के सहूलियत के ख्याल से उन्हें बिहार पंचायत राज विधान, १९४७ की धारा ६२ के अनुसार दफा २६४, २६५, २६६, २६७, आई० पी० सी०, को भी शामिल करने तथा फैसला देने का अधिकार देने का विचार करती है;

(ख) क्या सरकार ग्राम-पंचायत के अधिकारियों को कैटल ट्रसपास ऐक्ट दफा २६ के अनुसार सुअर के बदले आम मवेशी के लिये १० रुपया के बदले ५० रु० तक जुरमाना करने का अधिकार देने का विचार करती है;

(ग) क्या सरकार आजकल गांवों में कई किस्म के तौल प्रचलित सेर और तराजू में जो गोलमाल और नाजायज रहते हैं उन्हें पकड़ने और सजा देने का अधिकार ग्राम-पंचायत को देने का विचार करती है?

श्री भोला पासवान—(क) उत्तर नकारात्मक है। प्रश्न में अंकित धाराएं द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। चूंकि ग्राम कचहरी के इजलाशों को तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्ति है, इन धाराओं में फैसला देने उनके लिए अवैध होगा।

(ख) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) दि बिहार वेट्स ऐक्ट, १९४७ को राज्य में लागू किया है किन्तु इस विधान के अन्तर्गत किये गये अपराधों का विचार और फैसला की शक्ति ग्राम-पंचायतों को देने का प्रश्न विचाराधीन है।